



उ० प्र० सरकार का उपक्रम

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता  
विद्युत वितरण खण्ड (प्रथम),  
दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०  
मथुरा।

पत्रांक : 6296

/ वि०वि०ख०(प्र०)म०/

दिनांक : 04/11/2023

विषय : प्रभार 10 अश्वशक्ति लाइन निर्माण आदेश।

संयोजन सं० 210 1006 015763

उपभोक्ता श्री/श्रीमती सोनम चौधरी पुत्र/पत्नी श्री दानवीर सिंह निवासी- सेलखेडा पो०-पटलोनी तहसील-महावन,  
जिला-मथुरा।

स्वीकृत सं०- 5423 दिनांक०-26 09.2023

ब्लॉक -बल्देव

साइड- सेलखेडा

अधिकारी

विद्युत वितरण उपखण्ड-बल्देव।

आपको सूचित करना है, कि उपभोक्ता द्वारा निम्नलिखित कार्यवाही की गई है।

क्रम सं०	विवरण	रूपये	रसीद सं०	दिनांक
1.	जमानत धनराशि	3000.00	P53816574	18.10.2023
2.	सर्विस संयोजन चार्ज	18517.00	P53816574	18.10.2023
3.	फिक्स् चार्ज	4957.00	P53816574	18.10.2023

4. व्यवसाय निजी नलकूप के लिये अनुबन्ध दिनांक 04.11.2023 को किया है।

5. उपरोक्त अनुबन्ध साधारण/व्यवसायिक/पूर्ण जमा योजना में ग्रा०वि०/भूमि विकास लोन योजना में किया जा चुका है। आपको इस पत्र द्वारा यह भी सूचित किया जाता है कि उपभोक्ता का कार्य परन्तु हाथ में लिया जाये। उपभोक्ता द्वारा करने वाले कार्य जो कि उपभोक्ता की पूर्ति पर आधारित है। के पूर्व हो जाने के उपरान्त संयोजन दिया जाये। अग्रिम कार्यवाही के लिए वास्तविक खर्च की सूचना इस कार्यालय को भेजी जानी चाहिए। प्रोग्रेस रिपोर्ट (प्रगति विवरण) में मीटर रिडिंग, संयोजन देने की तारीख, मीटर संख्या, प्रारंभिक मीटर रिडिंग अन्य जो आवश्यक हो लाइन निर्माण आदेश संख्या अंकित करते हुये दिया जाना चाहिए। स्वीकृत अनुमानित व्यय (प्रांकलन) संलग्न है। फिर भी अन्य कार्यवाही जो आवश्यक समझी जाये और तुरन्त की जायें।

टिप्पणी:- यदि उपभोक्ता को माल ढोने के लिए नियुक्त किया जा रहा है, जो कि लाइन व सबस्टेशन का माल ढोयेगा तो रू०.....X.....छूट करा दिया जायेगा।

नोट:- 1. बी०एण्ड०एल० फार्म मय चालान फार्म जमा करने पश्चात ही संयोजन दिया जाये।

2. उपभोक्ता द्वारा सन्ट कैपेसिटर लगवा लेने के बाद ही संयोजन दिया जाये।

3. प्रदूषण पश्चात विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने के पश्चात ही संयोजन दिया जायें

4. संयोजन पर मीटर लगाने के उपरान्त ही ऊर्जाकृत किया जायेगा।

कमष : 6296 / वि०वि०ख०(प्र०)म०/ उपभोक्ता फाइल

दिनांक 04/11/2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत।

1. सम्बन्धित (पता उपरोक्त)।

2. सहायक विद्युत निरीक्षक उ०प्र० सरकार, मथुरा क्षेत्र मथुरा को रूपये ..1000.00..का चालान, बी०एण्ड०एल० फार्म सहित।

3. सहायक अभियन्ता (भंडार) मथुरा।

अधिशासी अभियन्ता